

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) जलेसर, एटा

10-05-2025

आज यह वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु पेश हुआ । सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन कर आदेश हुआ कि यह चालानी अन्तर्गत धारा-34 पुलिस एक्ट को मु०-10/- रूपये के अर्थदंड से दंडित कर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।